IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास में सरकारी योजनाओं एवं नीतियों का अध्ययनः उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली का विशेष अध्ययन"

***ममता**

**** डॉ0 मनीषा रावत**

शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग, हे0न0ब0ग0 विश्वविद्यालय, पौड़ी परिसर, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड

**** अंशकालिक प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय कल्जीखाल, पौड़ी गढ़वाल**

सारांश :– उद्योगों का विकास आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ है, देश में गरीबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए औद्योगीकरण का प्रमुख स्थान है, क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के अतिरिक्त विकास की संचयी प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001, 2003, 2008, 2015 और 2017 में औद्योगिक नीतियां घोषित की गयी। उत्तराखण्ड राज्य के तेरह जनपदों में से जनपद चमोली एक पर्वतीय जनपद है। जनपद चमोली में भौगोलिक विषमताओं एवं अवसंरचनाओं के पूर्ण विकास न होने से यह मैदानी जनपदों की तुलना में कम विकसित है। चमोली जनपद प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, जिनका क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हैं। जनपद चमोली में कुटीर उद्योगों का इतिहास बहुत पुराना है। अध्ययन क्षेत्र जनपद चमोली में कृषि, वन सम्पदा, औषधि, फलोत्पादन का उत्पादन अधिक किया जाता है। जिससे यहाँ सूक्ष्म उद्योगों के विकास की प्रधानता अधिक है। प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, तथा शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षित अध्ययन क्षेत्र जनपद चमोली में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास में सरकारी योजनाओं एवं नीतियों का अध्ययन करना है।

मुख्य संकेतक शब्द :– औद्योगिक नीतियां, एमएसएमई, सरकारी योजनाएं।

1.1 प्रस्तावना :– औद्योगिक नीतियां एवं योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने और अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए बनायी जाती है। जिससे देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की जा सके एवं उत्पादन वृद्धि द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। उत्तराखण्ड में प्राचीन समय से कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण उद्योगों की प्रधानता रही है। उत्तराखण्ड राज्य में जल शक्ति, पशुपालन, कृषि, फलोत्पादन, खनिज, वनसम्पदा, औषधि इत्यादि के उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। इन सभी के कारण राज्य में उद्योगों का विकास सम्भव हो पाया है। राज्य में उद्योगों से प्राप्त होने वाली आय के प्रमुख स्रोतों में सूक्ष्म उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य में कच्चे माल की उपलब्धता सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त है। राज्य के गठन के बाद से औद्योगिक विकास को

बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001, 2003, 2008, 2015 और 2017 में औद्योगिक नीतियां घोषित की गयी। प्रथम नीति 2001 का उद्देश्य पारपंरिक उद्योगों का पुर्नत्थान और सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बनाए रखना था। इस योजना के सफल न होने के कारण वर्ष 2003 में द्वितीय औद्योगिक नीति के फलस्वरूप राज्य में औद्योगीकरण के नए युग का सूत्रपात हुआ। इस नीति में विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज उद्योगों के विकास हेतु दिया गया। 2008 की औद्योगिक नीति में 'विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति' को लागू किया गया। जिसमें राज्य के ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा दिया गया। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति–2015 को लागू किया गया है। इस नीति में 2008 की नीति के द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन और सुविधाओं को अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य केन्द्र हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग शब्द के स्थान पर 'उद्यम' शब्द को जोड़ा गया है, तथा कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों को 'सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम' के रूप में परिभाषित किया गया है।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम–2006 के प्रावधानों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया हैः–

- ❖ सूक्ष्म उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश पच्चीस लाख रुपये तक तथा सेवा क्षेत्र में दस लाख रूपये से अधिक नहीं होता है।
- ❖ लघु उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश पांच करोड़ रुपये तक तथा सेवा क्षेत्र में दो करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।
- ❖ मध्यम उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश दस करोड रुपये तक तथा सेवा क्षेत्र में पांच करोड रूपये से अधिक नहीं होता है।

वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निवेश राशि को वार्षिक कारोबार की सीमा से जोड़ा गया है। नई परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया हैः–

- ❖ सूक्ष्म उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक न हो और वार्षिक कारोबार पांच करोड रुपये से अधिक न हो।
- ❖ लघु उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक का न हो और वार्षिक कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक न हो।
- ❖ मध्यम उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश पचास करोड रुपये से अधिक न हो और वार्षिक कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक न हो।

औद्योगिक नीतियों से तात्पर्य देश एवं राज्य के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली नीतियां से है, जिसके अन्तर्गत सरकारी नियमों एवं नीतियों का औद्योगिक विकास के लिए कार्यान्वयन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीतियों को उद्योगों के विकास को ध्यान में रखकर कार्यान्वित किया जाता है। औद्योगिक नीतियों में औद्योगिक विकास के लिए दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का लाभ उद्यमियों को दिया जाता है, जिनमें सब्सिड़ी कर, वित्तीय सुविधाओं का लाभ, आर्थिक सहायता में छूट इत्यादि का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। किसी भी राज्य के संरचनात्मक विकास, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर

औद्योगिक नीति का निर्माण किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र जनपद चमोली में संचालित औद्योगिक नीतियों का क्रियान्वयन राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है, जिसमें भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर जनपदों को पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में विभाजित कर औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत मिलने वाली रियायतों को उद्यमियों को प्रदान किया जाता है, जिससे राज्य में औद्योगिक वातावरण तैयार कर उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सके।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सांविधिक और गैर–सांविधिक निकायों द्वारा कार्य किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, (एनएसआईसी) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी) सम्मिलित हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक सांविधिक निकाय है, इस आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, लोगों में आत्म–निर्भरता एवं सुढ़ढ ग्रामीण सामुदायिक भावना को जागृत करना, तथा बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रमुख कार्य रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करके उन्हें प्रशिक्षण देना, हस्तनिर्मित उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित देना, कच्चा माल और उपकरणों का भंडारण करना, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य अभिकरणों के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग की समस्या का अध्ययन करना है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक ऋण सम्बन्धी सब्सिड़ी कार्यक्रम है, जिसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) दोनों सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, और इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर केवीआईसी द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है, तथा ग्रामीण शिल्पकला को प्रोत्साहित करना है, जिससे बेरोजगार युवकों को भी रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

वर्तमान समय में महिला उद्यमियों में उद्यमिता की भावना को विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनमें ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थाएँ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तीकरण और महिलाओं का स्टार्टअप, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म, स्टैंड अप इंडिया प्रमुख है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को उद्यम हेतु सशक्त बनाने के लिए असिस्टेंट फॉर रूरल एप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोगाम, सपोर्ट एंड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोगाम फॉर वुमेन, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।

वर्तमान समय में विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों का संचालन केन्द्रीय सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रों के लिए किया गया है, इन औद्योगिक नीतियों एवं योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराना है। देश में संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :–

मध्यम व लघु उद्योग कलस्टर कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएसएस), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, 2 प्रतिशत ब्याज छूट योजना, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर), पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर

विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी), डिजिटल क्लिनिक योजना, लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना (एलएमसीएस), डिजिटल एमएसएमई, एमएसएमई को जेड (जेइईडी) प्रमाणन योजना में वित्तीय सहायता, इंक्यूबेटर, बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर जागरूकता निर्माण (आईपीआर) योजना, टूल रूम और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र, खरीद एवं विपणन सहायता (पीएमएस) योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद, एमएसएमई समाधान पोर्टल, चैंपियन्स पोर्टल, अटल नवप्रवर्तन मिशन 'एराइज', प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उद्यमिता योजना।

उत्तराखण्ड की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति–(2015) में पूँजी निवेश को बढ़ावा, पलायन को रोकने के लिए, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से उद्योगों की स्थापना, और रोजगार के अवसरों का सृजन एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति–2015 को लागू की गई थी। यह नीति 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के माध्यम से औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक जो भी पहले हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमान्य होगा।

इस नीति मे वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान सहायता की दृष्टि से उत्तराखण्ड के सभी जनपदों को क्षेत्रीय विकास के आधार पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

- ✓ **श्रेणी 'ए'** जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर इत्यादि के सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है।
- ✓ **श्रेणी 'बी'** जनपद अल्मोड़ा, का सम्पूर्ण भू–भाग, पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर) तथा जनपद नैनीताल व देहरादून के पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+ श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर) सम्मिलित किया गया है।
- ✓ **श्रेणी 'बी'+** जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखण्ड के कोटद्वार, सिगड्डी और इनसे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र तथा टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखण्ड के ढ़ालवाला, मुनि की रेती, तपोवन तथा उससे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र, जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र, जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है।
- ✓ **श्रेणी 'सी'** जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मी0 से अधिक ऊचांई वाले क्षेत्र, नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड में आने वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है।
- ✓ **श्रेणी 'डी'** जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र (श्रेणी बी, बी+ व सी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर) को सम्मिलित किया गया है।

उत्तराखण्ड तथा हिमांचल प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2017 से औद्योगिक विकास येाजना–2017को लागू किया गया है। इस योजना का कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इस योजना में विस्तारीकरण के उत्पादक तथा सेवा उद्यमों को प्लाण्ट व मशीनरी में किए गए पूँजी निवेश 30 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 करोड़ का उपादान तथा भवन व मशीनरी के बीमा के प्रीमियम की 5 वर्ष तक प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी।

उत्तराखण्ड राज्य में एमएसएमई व मेगा औद्योगिक नीति के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ से वंचित उद्योगों को औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 से प्रोत्साहन मिल सकेगा। इस नीति में उन उद्योगों को भी ब्याज दर, स्टांप शुल्क, ईटीपी संयंत्र स्थापित करने में प्रोत्साहन मिलेगा जिनको एमएसएमई व मेगा इंडस्ट्रियल नीति में लाभ नहीं मिला था।

अध्ययन क्षेत्र जनपद चमोली में स्थापित उद्योगों के विकास में जिला उद्योग केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तराखण्ड़ राज्य सरकार उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 को लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े पर्वतीय जनपदों में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं एवं उद्यमिता विकास तथा उद्यमियों को विपणन प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना है, साथ ही इस नीति में रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा पर्वतीय क्षेत्रों का विकास कर पलायन जैसी समस्याओं को रोकना भी प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित है।

जनपद चमोली में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार एवं जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया गया है।

- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना।**
- **प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना।**
- **जिला उद्योग मित्र।**
- **भूमि आबंटन।**
- **पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति।**
- **पुरस्कार योजना।**
- **एकीकृत हस्तशिल्प विकास प्रोत्साहन योजना।**
- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति**– के लिए बुनकर क्षेत्र में 100 महिलाओं को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

- **हैंडलूम ग्रोथ सेन्टर माणा घिंघराण**–इसमें 20 महिलाओं का बनुकर के लिए चार महीने तक का प्रशिक्षण दिया जाता है।

- **रिंगाल ग्रोथ सैन्टर पीपलकोटी**–इसमें डिजाईनर के द्वारा 40 शिल्पियों को 5 माह तक का प्रशिक्षण दिया जाता है।

- **कार्डिंग प्लान्ट भीमतला**–जनपद के भेड़ पालकों एवं बुनकरों के ऊल कार्डिंग हेतु भीमतल्ला में कार्डिंग प्लान्ट की स्थापना की गई है।जिसके माध्यम से बुनकर अपने उत्पादों को तैयार करने में संलग्न हैं।

- **उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम**–इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तियों को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से उद्यमिता जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है।

2.1 साहित्य समीक्षा :–

वेपा, आर0 के0 (1983) के अनुसार–औद्योगिक नीतियों के मुख्य उद्देश्य बड़े पैमानें पर व अपेक्षाकृत कम लागत पर तत्काल रोजगार के अवसरों को सृजित करना है। साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ी हुई माँग व सरल उत्पादक वस्तुओं के पर्याप्त माँग को पूरा करना तथा संसाधनों के आधुनिकीकरण की सुविधा के लिए पूँजी और कौशलों का विकास करना है। जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रयुक्त अभाव रहता है। उनके अनुसार बड़ी संख्या में ग्रामीण उद्यमियों की आय और जीवन स्तर बढ़ाने में सहायता करना तथा लघु उद्योागों को निर्यात संवर्धन में सहायता करना है।

पुरोहित, के0 सी0 (1997) के अनुसार–उत्तराखण्ड राज्य में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उद्योगों का अभाव रहा है। उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवश्यक है, कि यहाँ के लिए अलग से औद्योगिक नीति बनाई जाए, तथा उस नीति का सम्बन्ध स्थानीय धरातल संसाधन तथा आवश्यकताओं पर आधारित हो। राज्य में वन, कृषि, पर्यटन, फलोद्यान, खनिज, पशुधन इत्यादि उद्योगों में रोजगार की अपार संभावनाएँ व्याप्त है।

पाण्डेय, डी0सी0 एवं बिष्ट, पी0सी0 (2001) के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित और विरल विस्तार वाले संसाधन आधार को देखते हुए ऐसे छोटे तथा सूक्ष्म उद्यमों की ही वकालत की जा सकती है। जिनमें ये अधिकांश घरेलू पैमाने पर चलाए जा सके। जिनमें अपना ही अल्प वित्त या अनौपचारिक रूप से जुटाई हुई पूँजी तथा घरेलू श्रम लगा हो।

रवि, एस0 (2009) ने 1991-2002 से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर अपने पेपर में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, कि विभिन्न राज्य सरकारें राज्य स्तरीय योजनाएँ और नीतियां बनाती हैं, जो एमएसएमई क्षेत्र में विकास को लक्षित करती हैं। बुनियादी ढाँचे और वित्तीय सहायता तक पहुँच को लक्षित करने वाली सामान्य नीतियों का विशिष्ट नीतियों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ा है।

अफसार, ए0 एवं अन्य (2011) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है, कि सरकारी नीति के कई क्षेत्र उद्यमशीलता गतिविधि के स्तर को प्रभावित करते हैं। जिनमें नियामक नीतियां, व्यापार नीतियां, श्रम बाजार नीतियां, क्षेत्रीय विकास नीतियां, सामाजिक नीतियां यहां तक कि लैंगिक नीतियां भी सम्मिलित हैं। उन्होंने सुझाव दिया है, कि सरकार को एक एकीकृत नीति दृष्टिकोण विकसित करने और लागू करने के लिए अधिक क्षैतिज संरचनाएँ अपनानी चाहिए।

रॉय, मनीष (2012) ने अपने अध्ययन **'Role of Micro, Small And Medium Enterprises-In Emerging Indian Economy'** में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एसएमई की भूमिका को प्रदर्शित किया है। उन्होंनें कहा है, कि एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें सरकार को अधिक ध्यान देने के साथ उपयुक्त रणनीतियों को विकसित करना है, जिससे उद्योगों का विकास अधिक से अधिक किया जा सके। एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए कुशल नीतियां, विशेष प्रोत्साहन एवं सरकार की भागीदारी को समय–समय पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ममगाई, आर0 एवं रेडडी, डी0एन0 (2015) के अनुसार उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए नीतिगत रूपरेखा व्यापक और सराहनीय है। राज्य की नई औद्योगिक नीति जो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करनें में प्रभावी नहीं रही है। इसके लिए अधिक संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित रखने के लिए और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ताकि पिछड़े जिलों को विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पूँजी निवेश को आकर्षित किया जा सके।

3.1 शोध विधि :–

3.2 अध्ययन क्षेत्र – जनपद चमोली गढ़वाल मण्डल का एक जनपद जनपद चमोली की स्थापना 24 फरवरी 1960 को तत्कालीन जनपद पौड़ी की तहसील से उच्चीकृत कर जनपद का दर्जा प्रदान किया गया। सीमान्त जनपद चमोली उत्तर में चीन (तिब्बत), पश्चिम में रूद्रप्रयाग एवं उत्तरपश्चिम में उत्तरकाशी, दक्षिण सीमा में अल्मोड़ा व दक्षिण पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल तथा पूर्व में बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ से घिरा हुआ है। चमोली जनपद का अक्षांशीय विस्तार 29^0 55'उत्तरी अक्षांश से 31^0 27'उत्तरी अक्षाशों तथा 78^0 54'पूर्वी देशान्तर से 80^0 2'पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित है। यह जनपद प्राकृतिक सुन्दरता की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक सुन्दर है। जनपद चमोली का क्षेत्रफल (8030 वर्ग किमी0) की दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। जनपद चमोली में कुल 12 तहसीलें हैं। चमोली, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, थराली, घाट, आदिबद्री, जिलासू, नन्दप्रयाग, देवाल, पोखरी, गैरसैंण व नारायणबगड़ में जनपद की तहसील हैं। इसके अतिरिक्त जोशीमठ, दशोली, घाट, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली, देवाल, पोखरी व गैरसैंण जनपद के विकसित विकासखण्ड है। जनपद चमोली में कुल 1246 गांव, 39 न्याय पंचायत, 610 ग्राम पंचायत,, 04 नगरपालिका एवं 06 नगरपंचायत हैं।

जनपद चमोली में वन, पशुपालन, कृषि, फलोत्पादन तथा कुछ खनिजों के उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। जिससे यहाँ उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। चमोली जनपद में आय के मुख्य स्रोतों के रूप में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विशेष महत्व रहा है। यहाँ की वन सम्पदा का उपयोग ईधंन, चारा, इमारती लकड़ी आदि के लिए किया जाता है। आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों की प्रचुरता के कारण कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वर्तमान समय में जनपद चमोली में अधिकांश चयनित इकाईयों में हथकरघा एवं हस्तशिल्प, आटाचक्की, एग्रो एण्ड फूड प्रोडक्टस, आटोमोबाइल्स एवं अन्य सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित गतिविधियाँ संचालित की जाती है। वर्तमान समय में जनपद चमोली में तीन मिनी औद्योगिक आस्थान सिमली, कालेश्वर एवं भीमतल्ला में स्थित है। औद्योगिक आस्थानों में सिमली सिडकुल के अधीन है, कालेश्वर एवं भीमतल्ला औद्योगिक आस्थान जिला उद्योग केन्द्र चमोली के नियन्त्रण में हैं। जनपद के नौ विकासखण्डों में अधिकांश औद्योगिक इकाईयों का संकेन्द्रण विकासखण्ड दशोली और कर्णप्रयाग में है।

3.3 अध्ययन के उद्देश्य :–

- अध्ययन क्षेत्र जनपद चमोली के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास में सरकारी योजनाओं एवं नीतियों का अध्ययन करना।

3.4 समग्र :–

वर्तमान शोध अध्ययन क्षेत्र जनपद चमोली में पंजीकृत/अपंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु आद्यौगिक इकाईयां शोध का समग्र है। जिसमें पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों की सूची जनपद में स्थित जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्राप्त की गयी है। वर्तमान समय में जनपद चमोली में कुल 3,510 इकाईयाँ पंजीकृत है, और कई इकाईयां अपंजीकृत भी है।

3.5 प्रतिदर्श चयन :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु स्तरीकृत दैव न्यादर्श का प्रयोग किया गया है। जनपद चमोली से चयनित प्रत्येक विकासखण्डों में कार्यरत सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों का चयन स्तरीकृत दैव न्यादर्श विधि के माध्यम से किया गया है।

3.6 प्रतिदर्श का आकार :–

जनपद चमोली में कुल 9 विकासखण्ड हैं, जिनमें से शोध हेतु प्रत्येक विकासखण्ड से 40 सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों का चयन अध्ययन के लिए किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक विकासखण्ड से कुल 360 सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को शोध हेतु अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

तालिका सं0–1.1
विकासखण्डों से चयनित प्रतिदर्शों की संख्या का वितरण

क्रम संख्या	प्रतिदर्श का आकार	
	सर्वेक्षित विकासखण्डों के नाम	सर्वेक्षित विकासखण्डों में चयनित औद्योगिक इकाईयों की संख्या
1	जोशीमठ	40
2	दशोली	40
3	घाट	40
4	कर्णप्रयाग	40
5	नारायणबगड़	40
6	थराली	40
7	देवाल	40
8	गैरसैंण	40
9	पोखरी	40
योग		360

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

3.7 औद्योगिक इकाईयों का चयन :– औद्योगिक इकाईयों का चयन जनपद चमोली के क्षेत्रीय विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाली विभिन्न सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों के द्वारा किया गया है। शोधकर्ता ने विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के समूहों को दो मुख्य समूहों में विभक्त किया है। प्रथम समूह विनिर्माण क्षेत्र सम्बन्धी व द्वितीय समूह सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित है। तत्पश्चात् इन समूहों के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न उपसमूहों में विभक्त किया है। जिनका चयन सरल दैव न्यादर्श विधि के माध्यम से किया गया है।

विनिर्माण क्षेत्र सम्बन्धी गतिविधियाँ :–आटा चक्की, कृषि उपकरण, मसाला, ऊनी वस्त्र एवं हथकरघा और हस्तशिल्प, फल प्रसंस्करण, फर्नीचर, प्रिटिंग प्रेस, टेलरिंग, आभूषण निर्माण, बेकरी उत्पाद, अन्य विनिर्माण सम्बन्धी कार्य, आयरन एण्ड़ स्टील वर्क्स। अन्य विनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियों में रिंगाल उद्योग, टिन उद्योग, शहद उद्योग, साबुन निर्माण,

अगरबत्ती निर्माण, चाय उद्योग, स्टोन क्रेशर, बैग निर्माण, बॉक्स निर्माण, लोहारगिरी इत्यादि औद्योगिक इकाईयों को सम्मिलित किया गया है।

सेवा क्षेत्र सम्बन्धी गतिविधियाँ :– इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सटरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल्स, कम्प्यूटर प्रशिक्षण/केन्द्र, ब्यूटीपार्लर, होटल, विड़ियो/ऑड़ियो स्टूडियो, डेयरी उद्योग,अन्य सेवा कार्य। अन्य सेवा सम्बन्धी गतिविधियों में कम्प्यूटर रिपेयरिंग, टायर रिट्रेडिंग एवं रेडीमेड गारमेंटस से सम्बन्धी इकाईयों को सम्मिलित किया गया है।

3.8 आंकड़ों का संग्रहण/प्रदर्शन :–

अध्ययन में शोध हेतु आँकड़ों के संग्रहण हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों का संग्रहण जनपद चमोली के सभी विकासखण्डों में क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित अनुसूची के माध्यम से किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग विस्तृत सरकारी व गैर सरकारी स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किया गया है। सर्वेक्षित क्षेत्रों से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर कार्यक्रम (SPSS) के माध्यम से सारणीयन एवं विश्लेषण का कार्य किया गया।

4.1 शोध अध्ययन के परिणाम :–

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अनुसार सरकारी नीतियों का विवरण :–

तालिका संख्या 1.2 का मुख्य उद्देश्य ऐसी औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन करना है, जिनको केन्द सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित की गयी नीतियों का लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार की औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आधार पर किया गया है। अध्ययन हेतु परिणाम निम्नलिखित हैं :–

तालिका सं0–1.2
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अनुसार सरकारी नीतियों का वितरण

औद्योगिक इकाईयां	सरकारी नीतियों का लाभ		कुल
	हां	नहीं	
सूक्ष्म उद्योग	15 (4.8%)	295 (95.2%)	310 (100.0%)
लघु उद्योग	4 (8.0%)	46 (92.0%)	50 (100.0%)
कुल	**19 (5.3%)**	**341 (94.7%)**	**360 (100.0%)**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या **1.2** के अध्ययन करने से स्पष्ट होता है, कि सर्वेक्षित सूक्ष्म औद्योगिक इकाईयां में 4.8 प्रतिशत उद्यमियों को सरकारी नीति का लाभ मिला हुआ है, जबकि 95.2 प्रतिशत सूक्ष्म औद्योगिक इकाईयां सरकारी नीतियों के लाभ से वंचित पायी गयी है। लघु उद्योगों में 8 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयां को सरकारी नीति लाभ प्राप्त है, जबकि 92 प्रतिशत लघु औद्योगिक इकाईयां सरकारी नीतियों के लाभ से वंचित पायी गयी। अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक नीति का लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयां लघु उद्योगों की तुलना में सूक्ष्म उद्योगों में में सबसे अधिक प्रदर्शित होती है।

विकासखण्ड़ के आधार पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–(2008) का विवरण :–

निम्न तालिका संख्या 1.3 का अध्ययन उपरोक्त तालिका संख्या 1.2 में विश्लेषित की गयी औद्योगिक इकाईयों के आधार पर किया गया है, जिनको सरकारी नीतियों का लाभ प्राप्त हुआ है। अध्ययन क्षेत्र में सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को संचालित किया गया। निम्न तालिका में 2008 की औद्योगिक नीति से लाभान्वित औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन किया गया है। इन औद्योगिक इकाईयों का संचालन विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के अन्तर्गत संचालित किया गया। इस नीति का उद्देश्य पर्वतीय जनपदों मे औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करना है, साथ ही औद्योगिक विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं एवं उद्यमों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को विपणन प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करना है। अध्ययन के परिणाम निम्नलिखित दिए गए हैं :–

तालिका सं0–1.3

विकासखण्ड़ के आधार पर सरकारी नीतियों का वितरण

क्रम संख्या	विकासखण्ड का नाम	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 का लाभ		कुल
		हां	नहीं	
1	**थराली**	2	38	40
2	**नारायणबगड़**	0	40	40
3	**देवाल**	1	39	40
4	**गैरसैंण**	1	39	40
5	**पोखरी**	2	38	40
6	**कर्णप्रयाग**	3	37	40
7	**घाट**	0	40	40
8	**जोशीमठ**	3	37	40
9	**दशोली**	7	33	40
	कुल	**19(5.3%)**	**341 (94.7%)**	**360 (100%)**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.3 के अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि सर्वेक्षित विकासखण्डों में 5.3 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयां को औद्योगिक नीति का लाभ प्राप्त हुआ है, जबकि 94.7 प्रतिशत औद्यागिक इकाईयों को किसी भी औद्योगिक नीति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। विकासखण्ड़ दशोली में सर्वाधिक औद्योगिक इकाईयां सरकारी नीति द्वारा लाभान्वित हुई हैं, तथा विकासखण्ड़ नारायणबगड़ और घाट में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 का कोई लाभ प्राप्त नहीं है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में सम्मिलित औद्योगिक इकाईयों में मुख्य रूप से आटा–चक्की उद्योग, मसाला उद्योग इत्यादि सम्मिलित हैं।

विकासखण्ड़ के अनुसार सरकारी योजनाओं का विवरण :–

निम्न तालिका संख्या 1.4 में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन किया गया। इस प्रकार की औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन विकासखण्ड के आधार पर किया गया है। अध्ययन के परिणाम निम्नलिखित हैं :–

तालिका सं0–1.4

विकासखण्ड़ के अनुसार सरकारी योजनाओं का वितरण

क्रम संख्या	विकासखण्ड का नाम	सरकारी योजनाओं का लाभ		योजना का नाम
		लाभ प्राप्त औद्योगिक इकाईयां	लाभ प्राप्त न करने वाली औद्योगिक इकाईयां	मुद्रा योजना
1	**थराली**	0	40	0
2	**नारायणबगड़**	1	39	1
3	**देवाल**	0	40	0
4	**गैरसैंण**	0	40	0
5	**पोखरी**	0	40	0
6	**कर्णप्रयाग**	0	40	0
7	**घाट**	0	40	0
8	**जोशीमठ**	0	40	0
9	**दशोली**	2	38	2
योग		**3 (0.8%)**	**357 (99.2%)**	**3 (100.0%)**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

तालिका संख्या 1.4 के अध्ययन से विश्लेषित होता है, कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का लाभ पर्वतीय क्षेत्रों के उद्योगों में सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। सरकारी योजना में 0.8 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है, जबकि अन्य सरकारी योजनाओं का पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव देखा गया है। इसका मुख्य कारण सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में उद्यमियों में जागरूकता का अभाव एवं सरकारी कार्यप्रणाली में उदासीनता देखी गयी है, जिसके कारण योजनाओं का कार्यान्वयन सुचारू ढंग से नहीं हो पाता है। अध्ययन क्षेत्र के विकासखण्ड नारायणबगड़ और दशोली में स्थापित औद्योगिक इकाईयां मुद्रा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए हैं।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अनुसार सरकारी योजनाओं का विवरण :–

सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाली सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन करना निम्न तालिका संख्या 1.5 का उद्देश्य है। अध्ययन के परिणाम निम्नलिखित दिए गए हैं :–

तालिका सं0–1.5
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आधार पर सरकारी योजनाओं का वितरण

औद्योगिक इकाईयां	सरकारी योजनाओं का वितरण		कुल
	हां	नहीं	
सूक्ष्म उद्योग	3 (1.0%)	307 (99.0%)	310 (100.0%)
लघु उद्योग	0 (0.0%)	50 (100.0%)	50 (100.0%)
कुल	**3 (0.8%)**	**357 (99.2%)**	**360 (100.0%)**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.5 के अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि अध्ययन क्षेत्र में मात्र 1.0 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयां है, जिनको सरकारी योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, जबकि अन्य सभी औद्योगिक इकाईयां सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित पायी गयी। सरकारी योजना से लाभान्वित औद्योगिक इकाई सूक्ष्म उद्योगों में सम्मिलित हैं। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है, कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि योजनाओं का विकास एवं क्रियान्वयन पर्वतीय जनपदों में नीतिगत तरीकों से करने में समस्यायें हैं, जिस कारण सरकारी योजनाओं का लाभ मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाता है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अनुसार सरकारी कार्यक्रमों का विवरण :–

सर्वेक्षित अध्ययन क्षेत्र जनपद चमोली के नौ विकासखण्डों में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमुख तीन विभागों के माध्यम से उद्योगों को स्थापित किया जाता है, जिसमें एमएसएमई कार्यक्रम, (सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय) पीएमजीपी, (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम), और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उद्योगों को संचालित एवं सहायता प्रदान की जाती है। इन तीन विभागों के अन्तर्गत उद्योगों के विकास हेतु ऋण की सुविधा, सब्सिड़ी, प्रशिक्षण की व्यवस्था भी उपलब्ध करायी जाती है। अध्ययन का उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित की जाने वाली औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आधार पर करना है। अध्ययन के परिणाम निन्न तालिका संख्या 1.6 में दिए गए हैं :–

तालिका सं0–1.6
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अनुसार सरकारी कार्यक्रमों का वितरण

औद्योगिक इकाईयां	सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक इकाईयां		कुल
	हां	नहीं	
सूक्ष्म उद्योग	31 (10.0%)	279 (90.0%)	310 (100.0%)
लघु उद्योग	50 (100.0%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)
कुल	**81 (22.5%)**	**279 (77.5%)**	**360 (100.0%)**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.6 के अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि अध्ययन क्षेत्रों में 22.5 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयां सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा संचालित है, जिसमें से 77.5 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयां किसी भी सरकारी कार्यक्रमों द्वारा संचालित नहीं की जाती है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है, कि सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक इकाईयां सबसे अधिक लघु उद्योगों की है।

सरकारी कार्यक्रमों द्वारा संचालित औद्योगिक इकाइयों का विवरण :–

निम्न तालिका संख्या 1.7 का अध्ययन उपरोक्त तालिका संख्या 1.6 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। निम्न तालिका में 22.5 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन किया गया है, जिनका संचालन सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया।

तालिका सं0–1.7
सरकारी कार्यक्रमों द्वारा संचालित औद्योगिक इकाइयों का वितरण

क्रम संख्या	सरकारी कार्यक्रमों का वितरण	उद्यमियों का वितरण		कुल
		हां	नहीं	
1	**एमएसएमई**	60 74.1%	21 25.9%	81 100.0%
2	**पीएमजीपी**	15 18.5%	66 81.5%	81 100.0%
3	**खादी ग्रामोद्योग बोर्ड**	2 2.4%	79 97.6%	81 100.0%
4	**अन्य कोई**	8 9.9%	73 90.1%	81 100.0%

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.7 के अनुसार 74.1 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों का संचालन एमएसएमई कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है, जबकि पीएमजीपी द्वारा 18.5 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों का संचालन किया गया। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से 2.4 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों को संचालित किया जाता है। अन्य कोई सरकारी कार्यक्रमों में ऊनी विपणन केन्द्र, हथकरघा व हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाईयों को संचालित किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमजीपी) ऋण सम्बन्धी कार्यक्रम है, जिसका संचालन एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है, जबकि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य स्तर पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईसी) निदेशालय के माध्यम से इस कार्यक्रम को संचालित किया जाता है।

क्षेत्र में उद्योगों की अनुकूलता के अनुसार सरकारी नीतियां :–

निम्न तालिका संख्या 1.8 में उद्योगों की अनुकूलता के आधार पर क्षेत्रीय विकास में सरकारी नीतियों का अध्ययन किया गया है। औद्योगिक नीतियों का संचालन अध्ययन क्षेत्र में स्थापित किए गए उद्योगों के विकास हेतु अनुकूल हैं, अथवा नहीं सम्बन्धी अध्ययन को निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इन औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आधार पर किया गया। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार से है :–

तालिका सं0–1.8
क्षेत्र में उद्योगों की अनुकूलता के अनुसार सरकारी नीतियां

औद्योगिक इकाईयां	उद्योगों में अनुकूलता का वितरण		कुल
	हां	नहीं	
सूक्ष्म उद्योग	135 (43.5%)	175 (56.5%)	310 (100.0%)
लघु उद्योग	26 (52.0%)	24 (48.0%)	50 (100.0%)
कुल	**161 (44.7%)**	**199 (55.3%)**	**360 (100.0%)**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

रेखाचित्र सं0–1.1
क्षेत्र में उद्योगों की अनुकूलता के अनुसार सरकारी नीतियां (प्रतिशत में)

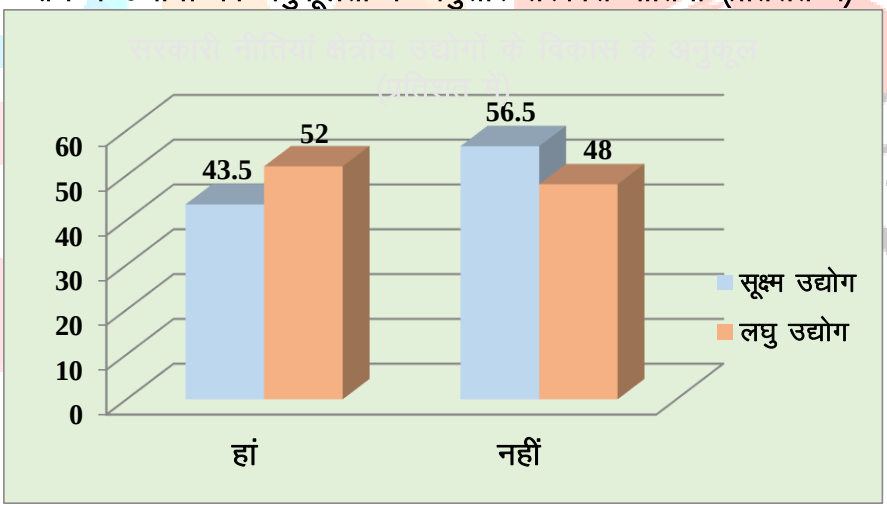

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपर्युक्त तालिका संख्या 1.8 एवं रेखाचित्र संख्या 1.1 का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है, कि 43.5 प्रतिशत सूक्ष्म औद्योगिक इकाईयों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र जनपद चमोली में सरकारी नीतियां का अनुसरण क्षेत्र में उद्योगों के विकास अनुकूल प्रदर्शित होता है, जबकि 52 प्रतिशत लघु औद्योगिक इकाईयों के अनुसार सरकारी नीतियां क्षेत्र में उद्योगों के विकास के अनुकूल हैं। 55.3 प्रतिशत उद्यमियों के अनुसार सरकारी नीतियां क्षेत्र में उद्योगों के विकास के अनुकूल नहीं है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लचीली सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन ही एक मात्र विकल्प है।

सरकारी नीतियां अनुकूल न होने के प्रमुख कारण :–

निम्न तालिका संख्या 1.9 में उपरोक्त तालिका संख्या 1.8 में किए गए अध्ययन के आधार पर क्षेत्र में उद्योगों के विकास में सरकारी नीतियों का अनुकूल नहीं होने के प्रमुख कारणों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के अध्ययन में 55.3 प्रतिशत उद्यमियों को सम्मिलित किया गया है, जिनके अनुसार सरकारी नीतियां क्षेत्र में उद्योगों के विकास में अनुकूल नहीं है। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार से हैं –

तालिका सं0–1.9
सरकारी नीतियां अनुकूल न होने के प्रमुख कारणों का वितरण

क्रम संख्या	प्रमुख कारणों का विवरण	उद्यमियों का वितरण		कुल
		हां	नहीं	
1	योजनाओं की जटिल प्रक्रिया	190 (95.5%)	9 (4.5%)	199 (100.0%)
2	क्षेत्र में योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन न हो पाना	194 (97.5%)	5 (2.5%)	199 (100.0%)
3	स्थानीय जनता में जागरूकता का अभाव	192 (96.5%)	7 (3.5%)	199 (100.0%)
4	अन्य कोई	161 (80.9%)	38 (19.1%)	199 (100.0%)

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.9 स्पष्ट करती है, कि अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक 97.5 प्रतिशत उद्यमियों के अनुसार सरकारी नीतियों का क्षेत्र में उद्योगों के विकास के अनुकूल न होने का मुख्य कारण क्षेत्र में योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन न हो पाना है। 96.5 प्रतिशत उद्यमियों के अनुसार स्थानीय जनता में जागरूकता का अभाव, 95.5 प्रतिशत उद्यमियों के अनुसार योजनाओं की जटिल प्रक्रिया के कारण सरकार द्वारा संचालित नीतियों का विकास क्षेत्र में उद्योगों के विकास हेतु अनुकूल नहीं पाया गया। अन्य कारणों में सरकार की उदासीनता, योजनाओं के संचालन की सम्पूर्ण जानकारी का अभाव, आदि कारणों से क्षेत्रीय विकास के लिए उद्योगों में सरकारी नीतियों प्रतिकूल प्रदर्शित होती है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण उद्यमियों को सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण योजनाओं का लाभ उठाने में ग्रामीण उद्यमी असफल रहते हैं। योजनाओं का संचालन क्षेत्रीय विकास के वातावरण के आधार पर न होने के कारण योजनाएँ सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं, क्योंकि योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों का स्थानीय स्तर पर प्रभाव न पड़ने के कारण स्थानीय जनता भी योजनाओं का लाभ लेने में रूचि नहीं लेती है, क्योंकि स्थानीय उद्यमियों मे जागरूकता का भी अभाव पाया जाता है।

सरकारी संस्थाओं द्वारा औद्योगिक इकाईयों में निरीक्षण/जाँच की स्थितिः–

निम्न तालिका में सरकारी एंजेसियों द्वारा औद्योगिक इकाईयों में समय–समय पर किए गए निरीक्षण कार्य का अवलोकन किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य है, कि क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाईयों के प्रति सरकारी संस्थाओं की क्या भूमिका रही है। योजनाओं एवं नीतियों के लाभ के बारे में उद्यमियों को विभिन्न जानकारी प्रदान कराना सरकारी संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकारी संस्थाओं द्वारा योजनाओं का लाभ, औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का उद्देश्य, प्रशिक्षण, ऋण की सुविधा, कच्चा माल तथा विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए औद्योगिक इकाईयों में निरीक्षण किया जाता है। इस अध्ययन के परिणाम इस प्रकार से हैं :–

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अनुसार सरकारी संस्थाओं द्वारा निरीक्षण की स्थिति :–

निम्न तालिका संख्या 1.10 में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आधार पर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए निरीक्षण कार्य का अध्ययन किया गया है। सरकारी संस्थाओं में मुख्य रूप से जिला उद्योग केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, बैंक संस्थानों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार से हैं :–

तालिका सं0–1.10

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आधार पर सरकारी संस्थाओं द्वारा निरीक्षण का वितरण

औद्योगिक इकाईयां	सरकारी संस्थाओं द्वारा उद्योगों के निरीक्षण का वितरण		कुल
	हां	नहीं	
सूक्ष्म उद्योग	20 6.5%	290 93.5%	310 100.0%
लघु उद्योग	10 20.0%	40 80.0%	50 100.0%
कुल	**30** **8.3%**	**199** **91.7%**	**360** **100.0%**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.10 के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आधार पर सरकारी संस्थाओं द्वारा निरीक्षण 8.3 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों में किया जाता है। सूक्ष्म उद्योगों में 6.5 प्रतिशत और लघु उद्योगों में 20.0 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों में सरकारी संस्थाओं के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है, जबकि 91.7 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों का सरकारी संस्थाओं के द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता है। सूक्ष्म उद्योगों में 93.5 प्रतिशत और लघु उद्योगों में 80.0 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों में सरकारी संस्थाओं के द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता है।

सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए प्रमुख निरीक्षण कार्यों का विवरण :–

निम्न तालिका संख्या 1.11 में उपरोक्त तालिका संख्या 1.10 के आधार पर अध्ययन किया गया है। इस प्रकार के अध्ययन का उद्देश्य सरकारी संस्थाओं द्वारा औद्योगिक इकाईयों में किए जाने वाले प्रमुख निरीक्षण कार्यों का उल्लेख करना है। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार से हैं :–

तालिका सं0–1.11

सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए प्रमुख निरीक्षण कार्यों का वितरण

क्रम संख्या	निरीक्षण के प्रमुख कार्यों का वितरण	उद्यमियों का वितरण		कुल
		हां	नहीं	
1	**सरकारी योजनाओं को थोपना**	15 (50%)	15 (50%)	30 100.0%
2	**सरकारी योजनाओं का अनुदान तक सीमित होना**	11 (36.6%)	19 (63.4%)	30 100.0%
3	**इकाई स्थापित होने के बाद पर्यवेक्षण न करना**	24 (80%)	6 (20%)	30 100.0%
4	**सरकार की उदासीनता**	28 (93.4%)	2 (6.6%)	30 100.0%

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.11 के अध्ययन से स्पष्ट है, कि सरकारी संस्थाओं द्वारा निरीक्षण न करने के मुख्य कारणों में 93.4 प्रतिशत उत्तरदात्ता उद्यमियों के अनुसार सरकार की उदासीनता है, जबकि 80प्रतिशत उत्तरदात्ता उद्यमियों द्वारा औद्योगिक इकाई स्थापित होने के बाद पर्यवेक्षण न करना है, अन्य प्रमुख कारणों में सरकारी योजनाओं को थोपना, सरकारी योजनाओं का अनुदान तक सीमित होना, लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए निराकरण इत्यादि प्रमुख कार्य सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किए जाते हैं।

विकासखण्ड़ के अनुसार कौशल विकास योजना का विवरण :–

कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे युवा उद्यमियों में नवाचार को विकसित किया जा सकता है। कौशल विकास योजना के माध्यम से लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत प्लम्बर, इलेक्ट्रिक, फीटर, हेल्थ वर्कर, सुरक्षा गार्ड, टेलर आदि जैसे सात सौ से ज्यादा कार्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। निम्न तालिका संख्या 1.12 में अध्ययन क्षेत्र के विकासखण्डों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अवलोकन किया गया है। अध्ययन के परिणाम निम्नलिखित हैं :–

तालिका सं0–1.12
विकासखण्ड़ के अनुसार कौशल विकास योजना का वितरण

क्रम संख्या	विकासखण्ड का नाम	कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमी		कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने की समयावधि
		हां	नहीं	3 महीने की
1	**थराली**	0	40	0
2	**नारायणबगड**	1	39	1
3	**देवाल**	0	40	0
4	**गैरसैंण**	1	39	1
5	**पोखरी**	5	35	5
6	**कर्णप्रयाग**	1	39	1
7	**घाट**	1	39	1
8	**जोशीमठ**	6	34	6
9	**दशोली**	0	40	0
कुल		**15 (4.2%)**	**345 (95.8%)**	**15 (100%)**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.12 स्पष्ट करती है, कि सर्वेक्षित विकासखण्डों में 4.2 प्रतिशत उद्यमियों ने कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जबकि 95.8 प्रतिशत उद्यमियों ने कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। कौशल विकास योजना से लाभान्वित उद्यमियों ने 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अध्ययन क्षेत्र में उद्यमियों ने 3 महीने से अधिक का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। विकासखण्ड जोशीमठ और पोखरी में सबसे अधिक उद्यमियों ने कौशल विकास योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

विकासखण्ड़ के अनुसार कौशल विकास योजना से प्राप्त रोजगार का विवरण :–

निम्न तालिका संख्या 1.13 में कौशल विकास योजना के द्वारा उपलब्ध रोजगार के प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन किया गया। अध्ययन क्षेत्र में कौशल विकास योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हुआ है। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार से हैं :–

तालिका सं0–1.13

विकासखण्ड़ के आधार पर कौशल विकास योजना से प्राप्त रोजगार का वितरण

क्रम संख्या	विकासखण्ड का नाम	कौशल विकास से प्राप्त रोजगार	
		सिलाई / बुनाई	कम्प्यूटर
1	**थराली**	0	0
2	**नारायणबगड**	0	1
3	**देवाल**	0	0
4	**गैरसैंण**	0	1
5	**पोखरी**	2	3
6	**कर्णप्रयाग**	0	1
7	**घाट**	0	1
8	**जोशीमठ**	3	3
9	**दशोली**	0	0
कुल		**5 (33.3%)**	**10 (66.7%)**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

तालिका संख्या 1.13 स्पष्ट करती है, कि सर्वेक्षित क्षेत्रों में कौशल विकास योजना से 33.3 प्रतिशत उद्यमियों को सिलाई बुनाई के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ है, जबकि 66.7 प्रतिशत उद्यमियों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हआ है। कौशल विकास योजना से उद्यमियों में रोजगार की भावना एवं नवाचार का विकास होने के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। विकासखण्ड पोखरी और जोशीमठ के उद्यमी सिलाई–बुनाई में सबसे अधिक सम्मिलित पाए गए, जबकि कम्प्यूटर के क्षेत्र में विकासखण्ड थराली, दशोली और देवाल को छोड़कर सभी विकासखण्डों में उद्यमियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आधार पर नई औद्यगिक नीति की आवश्यकता का विवरण :–

निम्न तालिका संख्या 1.14 में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आधार पर नई औद्योगिक नीति को लागू किए जाने की आवश्यकता का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार से हैं :–

तालिका सं0–1.14

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आधार पर नई औद्यगिक नीति की आवश्यकता का विवरण

औद्योगिक इकाईयां	नई औद्यगिक नीति की आवश्यकता का वितरण		कुल
	हां	नहीं	
सूक्ष्म उद्योग	156 (50.3%)	154 (49.7%)	310 (100.0%)
लघु उद्योग	34 (68.0%)	16 (32.0%)	50 (100.0%)
कुल	190 (52.8%)	170 (47.2%)	360 (100.0%)

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

चित्र सं0–1.2

नई औद्यगिक नीति की आवश्यकता का वितरण

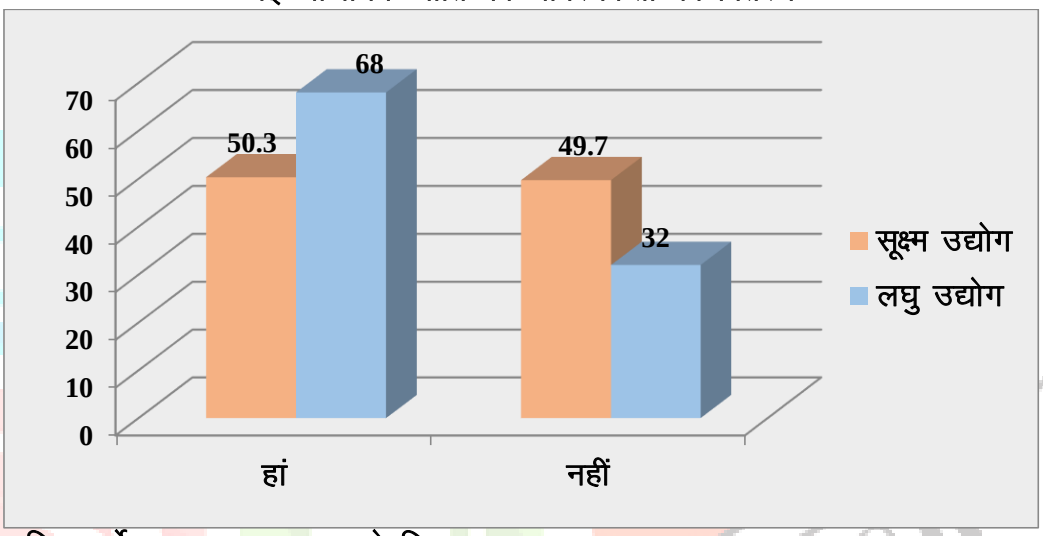

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.14 एवं रेखाचित्र संख्या 1.2 का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है, कि सूक्ष्म उद्योगों में 50.3 प्रतिशत उत्तरदात्ता उद्यमी तथा लघु उद्योगों में 68 प्रतिशत उत्तरदात्ता उद्यमियों के अनुसार वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र में उद्योगों के विकास हेतु नई औद्योगिक नीति को लागू किए जाने की आवश्कता है। उद्यमियों के अनुसार नई औद्योगिक नीति में पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को विशेष छूट का प्रावधान किया जाना चाहिए और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में भी आधारभूत संरचनाओं के आधार पर शिथिलता दी जानी चाहिए, क्योंकि उद्यमियों के अनुसार यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है।

नई औद्यगिक नीति की आवश्यकता के प्रमुख कारणों का विवरण :–

निम्न तालिका संख्या 1.15 का वितरण उपरोक्त तालिका संख्या 1.14 के आधार पर आधारित है। इस प्रकार के अध्ययन में वे उद्यमी सम्मिलित हैं, जिनके अनुसार वर्तमान समय में नई औद्योगिक नीति लागू करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार से हैं :–

तालिका सं0–1.15

नई औद्यगिक नीति की आवश्यकता के प्रमुख कारणों का वितरण

क्रम संख्या	नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता के कारणों का विवरण	उद्यमियों का वितरण		कुल
		हां	नहीं	
1	क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन	186 (97.9%)	4 (2.1%)	190 (100.0%)
2	पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन	180 (94.7%)	10 (5.3%)	190 (100.0%)
3	स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता	181 (95.3%)	9 (4.7%)	190 (100.0%)
4	ऋण को सब्सिड़ी से न जोड़ना	59 (31.1%)	131 (68.9%)	190 (100.0%)
5	लाइसेंसिग प्रक्रिया में सुधार	39 (20.6%)	151 (79.4%)	190 (100.0%)

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.15 से स्पष्ट होता है, कि अध्ययन क्षेत्र में नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता को लागू करने का मुख्य कारण क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन दिए जाने से है, अन्य प्रमुख कारणों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता, पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन एवं ऋण को सब्सिड़ी से न जोड़ना एवं लाइसेंसिग प्रक्रिया में सुधार करने के लिए नई औद्योगिक नीति को लागू करने की आवश्यकता है। अतः अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है, कि क्षेत्र में उद्योगों के विकास पर ध्यान देने के लिए वर्तमान समय में नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता के विचार को स्वीकार किया जाना चाहिए। जिससे पर्वतीय क्षेत्र के उद्यमियों को विकास के वाहक के रूप में प्रोत्साहन मिल सके।

विकासखण्ड़ के अनुसार सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका का विवरण :–

निम्न तालिका संख्या 1.16 में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आधार पर उद्यमियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के योगदान का अध्ययन किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयों को दर्शाना है। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार से हैं :–

तालिका सं0–1.16

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अनुसार सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका का वितरण

औद्योगिक इकाईयां	सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के योगदान का वितरण		कुल
	हां	नहीं	
सूक्ष्म उद्योग	112 36.1%	198 63.9%	310 100.0%
लघु उद्योग	50 100.0%	0 0.0%	50 100.0%
कुल	162 45.0%	198 55.0%	360 100.0%

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.16 के अध्ययन करने से विश्लेषित होता है, कि सरकारी संस्थाओं का सबसे अधिक योगदान लघु उद्योगों में प्रदर्शित होता है, जबकि सूक्ष्म उद्योगों में 36.1 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान मिला हुआ है। सूक्ष्म उद्योगों की 63.9 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों को किसी भी प्रकार की

सरकारी संस्थाओं से सहायता प्राप्त नहीं हुई है। सरकारी संस्थाओं का योगदान लघु उद्योगों के विकास में सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है।

सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की स्थिति :–

निम्न तालिका संख्या 1.17 का अध्ययन उपरोक्त तालिका संख्या 1.16 के आधार पर किया गया है। इस अध्ययन में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका को दर्शाया गया है। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार से हैं :–

तालिका सं0–1.17
सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका का वितरण

क्रम संख्या	सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता का वितरण	उद्यमियों का वितरण		कुल
		हां	नहीं	
1	जिला उद्योग केन्द्र	144 (88.9%)	18 (11.1%)	162 (100.0%)
2	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	12 (7.4%)	150 (92.6%)	162 (100.0%)
3	गैर सरकारी संस्थाएँ	22 (13.5%)	140 (86.5%)	162 (100.0%)
4	अन्य कोई	2 (1.2%)	160 (98.8%)	162 (100.0%)

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.17 के अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि सर्वेक्षित अध्ययन क्षेत्र में 88.9 प्रतिशत उद्यमियों को जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा सहायता प्रदान की गयी है, जबकि 11.1प्रतिशत उद्यमियों को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कोई भी सहायता प्राप्त नहीं है। 7.4 प्रतिशत उद्यमियों को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त है, जबकि 13.5 प्रतिशत उद्यमियों को गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की गयी है। अन्य संस्थानों में स्वंय सहायता समूह एवं बैंक द्वारा भी सहायता प्रदान करायी जाती है। इन संस्थाओं द्वारा समय–समय पर उद्योगों को आवश्यकता हेतु कच्चा माल, प्रशिक्षण सुविधा, ऋण की सुविधा इत्याद प्रदान की जाती है।

विकासखण्ड़ के अनुसार सिडकुल द्वारा सहायता का विवरण :–

विकासखण्ड़ के आधार पर सिडकुल (राज्य औद्यागिक विकास निगम) द्वारा सहायता का वितरण निम्न तालिका संख्या 1.18 में किया गया है। वर्तमान समय में सिडकुल द्वारा अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने हेतु भूमि की सुविधा प्रदान की गयी है। अध्ययन के परिणाम निम्नलिखित हैं :–

तालिका सं0–1.18
विकासखण्ड़ के अनुसार सिडकुल द्वारा सहायता का वितरण

क्रम संख्या	विकासखण्ड का नाम	सिडकुल द्वारा सहायता का विवरण		यदि हां तो सहायता का विवरण	
		हां	नहीं	भूमि	अन्य कोई
1	थराली	0	40	0	0
2	नारायणबगड़	0	40	0	0
3	देवाल	0	40	0	0
4	गैरसैंण	0	40	0	0
5	पोखरी	0	40	0	0
6	कर्णप्रयाग	9	31	9	0
7	घाट	0	40	0	0
8	जोशीमठ	0	40	0	0
9	दशोली	0	40	0	0
कुल		9 (2.5%)	351 (97.5%)	9 (2.5%)	0 (0%)

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

तालिका संख्या 1.18 के अध्ययन करने से स्पष्ट होता है, कि सर्वेक्षित विकासखण्ड़ों में सिडकुल द्वारा 2.5 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों को सहायता प्राप्त हुई है, जबकि 97.5 प्रतिशत इकाईयों को सिडकुल द्वारा कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। विकासखण्ड़ कर्णप्रयाग में 2.5 प्रतिशत औद्येगिक इकाईयों को सिडकुल द्वारा उद्योगों को स्थापित करने के लिए भूमि की सहायता प्रदान की गयी है। अन्य विकासखण्डों में सिडकुल की भूमिका परिलक्षित नहीं होती है।

विकासखण्ड़ के अनुसार जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका का विवरण :–

निम्न तालिका संख्या 1.19 में विकासखण्डों के आधार पर जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के परिणाम निम्नलिखित दिए गए हैं :–

ताालिका सं0–1.19

विकासखण्ड़ के आधार पर जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका का वितरण

क्रम संख्या	विकासखण्ड का नाम	जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सहायता का वितरण		कुल
		हां	नहीं	
1	**थराली**	13	27	40
2	**नारायणबगड़**	12	28	40
3	**देवाल**	5	35	40
4	**गैरसैंण**	13	27	40
5	**पोखरी**	17	23	40
6	**कर्णप्रयाग**	27	13	40
7	**घाट**	16	24	40
8	**जोशीमठ**	21	19	40
9	**दशोली**	20	20	40
कुल		144 (40%)	216 (60%)	360

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.19 के अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि सर्वेक्षित विकासखण्डों में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक इकाईयां 40 प्रतिशत है, जबकि 60 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। विकासखण्ड कर्णप्रयाग में सबसे अधिक औद्योगिक इकाईयों को जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा सहायता प्राप्त हुई है, जबकि विकासखण्ड देवाल में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाईयों के विकास हेतु दी गयी सहायता सबसे कम प्रदर्शित हो रही है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अनुसार जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका का विवरण :–

निम्न तालिका का अध्ययन उपरोक्त तालिका संख्या 1.20 के आधार पर किया गया है। अध्ययन में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आधार पर जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका को दर्शाया गया है। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार से हैं :–

ताालिका सं0–1.20

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अनुसार जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका का वितरण

औद्योगिक इकाईयां	जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सहायता का वितरण		कुल
	हां	नहीं	
सूक्ष्म उद्योग	94 (30.3%)	216 (69.7%)	310 (100.0%)
लघु उद्योग	50 (100.0%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)
कुल	144 (40%)	216 (60%)	360 (100.0%)

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.20 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है, कि जिला उद्योग केन्द्र का सबसे अधिक योगदान लघु उद्योगों में प्रदर्शित होता है, जबकि सूक्ष्म उद्योगों की 30.3 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा

सहायता प्रदान की गयी। सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कोई भी सहायता प्रदान नहीं की गयी जबकि लघु उद्योगों में सम्मिलित सभी औद्योगिक इकाईयों को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त हुई है।

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सहायता का विवरण :–

निम्न तालिका का अध्ययन उपरोक्त तालिका संख्या 1.21 के आधार पर किया गया है। इस अध्ययन में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उत्तरदात्ता उद्यमियों को दी जाने वाली सहायता को दर्शाया गया है। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार से हैं :–

तालिका सं0–1.21

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सहायता का वितरण

क्रम संख्या	जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त सहायता का वितरण	उद्यमियों का वितरण		कुल
		हां	नहीं	
1	प्रशिक्षण	18 12.5%	126 87.5%	144 100.0%
2	ऋण की सहायता	87 60.4%	57 39.6%	144 100.0%
3	कच्चे माल की सहायता	3 2.1%	141 97.9%	144 100.0%
4	अन्य कोई	53 36.8%	91 63.2%	144 100.0%

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 1.21 यह स्पष्ट करती है, कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 12.5 प्रतिशत उत्तरदात्ता उद्यमियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 60.4 प्रतिशत उत्तरदात्ता उद्यमियों को ऋण की सहायता, जबकि कच्चे माल की सहायता 2.1 प्रतिशत उत्तरदात्ता उद्यमियों द्वारा प्राप्त की गयी। जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से अन्य सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें उद्योगों का पंजीकरण, अनुदान, स्थानीय उत्पादों को खरीदना, स्थानीय मेलों द्वारा उत्पादों की बिक्री का संचालन करना इत्यादि।

सुझाव :–

- उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विपणन सुविधाओं के लिए उन्हें बाजार तक आसानी से पहुँचाने की सुविधा होनी चाहिए। जिसके लिए सरकार को जिला स्तर पर इन उत्पादों से सम्बन्धित जानकारी को वेबसाइट या ई–पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए जाने चाहिए जिससे उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को आसानी से खरीदारों तक पहुँचाया जा सकता है।

- सरकार को यातायात लागत कम करने के लिए उद्यमियों को विकासखण्ड स्तर पर सहयोग देना चाहिए। इससे विकासखण्ड स्तर के औद्योगिक क्षेत्र में जो भी सामान बनेगा उसकी लागत भी कम पड़ेगी तथा साथ ही उत्पादित किया गया सामान एक साथ भेजने पर उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को सुविधा प्राप्त होगी।

- सरकार द्वारा ग्रामीण एवं विकासखण्ड स्तर पर उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की पहुँच को बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा महिला

उद्यमियों को उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न उपकरणों, मशीनरी, कच्चा माल जैसी सुविधाओं को ग्रामीण स्तर व सम्बन्धित विकासखण्ड स्तर पर पहुँचाना जाना चाहिए।

- उद्योगों के विकास हेतु सहायक सरकारी संस्थानों एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा उचित क्रियान्वयन के माध्यम से उद्योगों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, जिससे सरकारी एंजेसियों के प्रति उद्यमियों में जागरूकता विकसित की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के सतत् विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में वित्तीय परिव्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा बजट प्राविधान के द्वारा उद्योगों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए।

- अध्ययन क्षेत्र में अधिकतर सूक्ष्म उद्योग अपंजीकृत हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक है, इसलिए इनको भी पंजीकृत करने की आवश्यकता है। जिससे ये इकाईयां सरकारी नियमों का पालन कर सके साथ ही सरकारी नीतियों से भी लाभान्वित हो सके।

- उद्योगों के विकास हेतु बनाई जाने वाली सरकारी नीतियां पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। जिससे स्थानीय उद्योगों को भी प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जा सकता है।

- वर्तमान समय में स्थानीय पारम्परिक उद्योग गांवों से कम होते जा रहे हैं। जिनमें कृषि यंत्रों का निर्माण, रिंगाल द्वारा विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण, कालीन उद्योग, जड़ी–बूटी पर आधारित उद्योगों को संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु कुछ विशेष नीतियां बनाने की आवश्यकता है, जैसे कच्चा माल नीति, औद्योगिक आस्थान स्थापना नीति, प्रशिक्षण नीति, वित्तीय नीति, विपणन नीति, यातायात नीति एवं रोजगार नीति महत्वपूर्ण है। जो क्षेत्रीय विकास के अनुरूप उद्यमियों को सुविधा प्रदान करेगें।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा समय–समय पर इन सरकारी संस्थाओं के माध्यम से औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

- स्थानीय स्तर पर संचालित किए जाने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संचालित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए जिससे कि उनका संचालन क्षेत्रीय स्तर के साथ–साथ राज्य और वैश्विक स्तर पर हो सके।

- अध्ययन क्षेत्र में रिंगाल, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे उद्योगों में संलग्न उद्यमियों को जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र द्वारा पुरूस्कार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के उद्यमों के विकास हेतु विकासखण्ड स्तर पर ऊन बैंक की स्थापना की जानी चाहिए।

- अध्ययन क्षेत्र में राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) द्वारा औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। औद्योगिक इकाईयों को भूमि के साथ–साथ अन्य सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए।

- अध्ययन क्षेत्र में रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा पुर्नस्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा साप्ताहिक एवं मासिक आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था अध्ययन क्षेत्र के विकासखण्ड स्तर और ग्रामीण स्तर पर की जानी चाहिए।

- अध्ययन क्षेत्र में कृषि आधारित, वनाधारित, औषधि आधारित उद्योगों के विकास की अधिक संभावना है। इस प्रकार के उद्योगों हेतु पर्याप्त कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। इन उद्योगों को सरकार द्वारा वित्त सम्बन्धी सुविधाओं एवं तकनीकी सम्बन्धी ज्ञान के द्वारा अधिक संख्या में विकसित किया जाना चाहिए।

- अध्ययन क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं नीतियों से सम्बन्धित जानकारी दी जानी चाहिए। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर एवं ग्रामीण स्तर पर आयोजित किये जाने चाहिए।

उपरोक्त सुझावों के आधार पर उद्योगों के लिए विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। जिससे अध्ययन क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास में सूक्ष्म और लघु उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए उद्यमिता विकास को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो कि सरकारी नीतियों एवं योजनाओं के संचालन के द्वारा ही सम्भव है। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर उद्यमियों में सरकारी नीतियों एवं योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने से शिक्षित बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

सन्दर्भ सूची

- Afshar, A. & et all (2011). "The Relationship Between Government Policy and the Growth of Entrepreneurship in the Micro, Small & Medium Enterprises of India." *Journal of Technology Management & Innovation*, 06 (1), p. 67-75.
- Mamgain, R., Reddy, D.N. (2015). Final report "Outmigration from hill region of Uttarakhand Magnitude, Challenges and Policy Options." National Institutes of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad, p.23.
- Ravi, S. (2009). 'Entrepreneurship Development in the Micro Small and Medium Enterprise Sector in India', Conference Presentation & Panel Discussion, Indian School of Business, Hyderabad, p.1-17.
- Tirkey, R. Manish. (2012). 'Role of Micro, Small And Medium Enterprises- In Emerging Indian Economy. *Global Journal of Arts and Management*, 2*(1)*, p. 87-89.
- Vepa, R. K. (1983). Small Industry the Challenge of the Eighties. New Delhi, Vikas Publishing.
- पुरोहित, के0सी0 (1997) 'हमारा उत्तराखंड', बिनसर पब्लिशिंग कं0, पृ0 84-85
- पाण्डे, डी0सी0 एवं बिष्ट, पी0सी0 (2001) 'पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता विकासः सीमाएं तथा संभावनाएं, इकोनॉमी ऑफ उत्तरांचल प्रोफाइल एण्ड डायनमिक ऑफ चेन्ज, अनामिका पब्लिर्स, नई दिल्ली, पृ0 394
- वार्षिक प्रतिवेदन (2020-21) औद्योगिक विकास विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तराखण्ड, पृ0 25-116

- https://chamoli.gov.in
- www.doiuk.org.in
- www.msme.gov.in
- http://des.uk.gov.in
- https://www.indiabudget.gov.in
- https://dpiit.gov.in